विविध बैंक प्रकरण सं0 98/2016 पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीरबल चौक श्रीगंगानगर बनाम 1– मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स जी–54 उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर 2–श्री कुलदीप चंद गार्गी पता 13 आनन्द कुटीर, सदर बाजार, श्रीगंगानगर 3–श्रीमति संतोष पत्नि श्री कुलदीपचंद गार्गी पता 13 आनन्द कुटीर, सदर बाजार, श्रीगंगानगर 4–श्रीमति सन्तोष गोयल पत्नि श्री कृष्णकुमार गोयल पता आरएसडी 11 रिद्धी सिद्धी प्रथम श्रीगंगानगर 5–श्री कृष्णकुमार गोयल पुत्र श्री सन्तराम गोयल पता आरएसडी 11 रिद्धी सिद्धी प्रथम श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2017

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री राकेश कुमार उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री राकेशकुमार का कथन था कि उनके द्वारा एक प्रा0पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी 1–मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स जी–54 उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 40,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) दिनांक 23.09.2010 को व 50,00,000/–रूपये (अखरे पचास लाख मात्र) दिनांक 18.02.2011 को कुल 90,00,000/–रूपये (अखरे नब्बे लाख मात्र) को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी चल व अचल सम्पति जो कि 1–दृष्टिबंधक प्लांट एवं मशीनरी के साथ स्टॉक (कच्चा माल, तैयार माल, स्क्रेप लोहा/स्टील बार्स, ऐन्गल पट्टी इत्यादी) जो मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स श्रीगंगानगर के नाम से है तथा प्लॉट न0 जी 54 रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर पर स्थित है व 2–फैक्ट्री भूमि व भवन जो प्लॉट न0 जी–54 माप 1500 वर्गमीटर, रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर पर स्थित है तथा मैसर्स हिमगिरी स्टील री–रोलिंग मिल्स के नाम से है को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थी सं0 1 का ऋण खाता दिनांक **21.03.2016** को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.02.2016 को कुल 92,58,905रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत **60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 22.03.2016** को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीयान द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रा0 पत्र के साथ अधिनियम की धारा 14 में दिनांक 03.01.13 को किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश किया है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी उक्त चल व चल सम्पति 1–दृष्टिबंधक प्लांट एवं मशीनरी के साथ स्टॉक (कच्चा

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माल, तैयार माल, स्क्रेप लोहा/स्टील बार्स, ऐन्गल पट्टी इत्यादी) जो कि मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स के नाम से है तथा प्लॉट न0 जी 54 रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर पर स्थित है व 2–फैक्ट्री भूमि व भवन जो प्लॉट न0 जी–54 रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 तथा धारा 14 में किये संशोधन दिनांक 03.01.13 के अनुसार प्रा0 पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक **21.10.2016** का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी 1–मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स जी–54 उद्योग विहार, रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर को ऋण सुविधा के रूप में ऋण 40,00,000/–रूपये (अखरे रूपये चालीस लाख मात्र) दिनांक 23.09.2010 को व 50,00,000/–रूपये (अखरे पचास लाख मात्र) दिनांक 18.02.2011 को कुल 90,00,000/–रूपये (अखरे नब्बे लाख मात्र) को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सं0 1 ऋणी द्वारा अपनी चल व अचल सम्पति 1–दृष्टिबंधक प्लांट एवं मशीनरी के साथ स्टॉक (कच्चा माल, तैयार माल, स्क्रेप लोहा/स्टील बार्स, ऐन्गल पट्टी इत्यादी) जो कि मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स के नाम से है तथा प्लॉट न0 जी 54 रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर पर स्थित है व 2–फैक्ट्री भूमि व भवन जो प्लॉट न0 जी–54 रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी थी, का वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत भोतिक कब्जा चाहा है। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की ऋण राशि का नियमित रूप से भुगतान नही करने के कारण उसका ऋण खाता दिनांक 21.03.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 22.03.2016 को डाक द्वारा भिजवाये गये।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल व अचल सम्पति 1–दृष्टिबंधक प्लांट एवं मशीनरी के साथ स्टॉक (कच्चा माल, तैयार माल, स्क्रेप लोहा/स्टील बार्स, ऐन्गल पट्टी इत्यादी) जो कि मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स के नाम से है तथा प्लॉट न0 जी 54 रीको औद्योगिक क्षेत्र, श्रीगंगानगर पर स्थित है व 2–फैक्ट्री भूमि व भवन जो प्लॉट न0 जी–54 रीको औद्योगिक क्षेत्र श्रीगंगानगर का प्रश्न है वह अप्रार्थी सं0 1 मैसर्स हिमगिरी स्टील री रोलिंग मिल्स के नाम से है। इस प्रकार जिस सम्पति का प्रार्थी बैंक द्वारा कब्जा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है और निम्न हस्ताक्षरकर्ता को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का पूर्णतया अधिकारिता है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.03.2016 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 22.03.2016 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का अप्रार्थीगण सं0 1–ऋणी मैसर्स हिमगिरी स्टील री

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रोलिंग मिल्स 2–प्रोपराईटर श्री कुलदीप चंद गार्गी व जमानतदार 1–श्रीमति सन्तोष पत्नि श्री कुलदीप चंद गार्गी 4– श्रीमति सन्तोष गोयल व 5– श्री कृष्णकुमार गोयल के नाम से नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है परिणाम स्वरूप रजि0 नोटिस ऋणी, प्रोपराईटर व जमानतदार स्वयं द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त अभिकर्ता पर नोटिस तामील हुआ हो, नोटिस प्राप्ति की ऐसी कोई अप्रार्थीगण की हस्ताक्षरयुक्त रसीद बैंक द्वारा पेश नही की गई है। जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत नोटिस की तामील प्रत्येक ऋणी जिसमें जमानतदार भी सम्मिलित है, स्वयं पर या उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत अभिकर्ता पर होनी आवश्यक है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा दिये गये शपथ पत्र में अंकित तथ्य कि अप्रार्थीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक से हुई है, जिसकी पुष्टि उक्त विवेचन के अनुसार नही होती है। इसलिए अप्रार्थीगण पर धारा 13 (2) के नोटिस की तामील के अभाव में प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रा0 पत्र ऋण की एवज में रखी गई उक्त सम्पति का कब्जा दिलवाने संबंधी स्वीकार नही किया जा सकता। जब तक ऋणी एवं जमानतदारो पर उक्त अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बने नियम 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत धारा 13(2) के नोटिस की तामील नही हो जाती है। इसलिए प्रार्थी बैंक को निदेशित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत विधिवत नोटिस जारी कर उक्त अधिनियम 2002 व उसके तहत बने नियम 2002 के तहत विधिवत व उचित प्रक्रिया के माध्यम से तामील करवाकर अधिनियम के प्रावधानो की पूर्ण रूप से पालना करते हुए पुनः प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही प्रति
प्रभारी अधिकारी
रीडर शाखा! कलेक्ट्रेट
श्री गंगानगर

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर